भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4129
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

लघु गुड़ उद्योग का आधुनिकीकरण

4129. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख गन्ना एवं गुड़ उत्पादक क्षेत्र में लघु गुड़ उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना बनाने का विचार है क्योंकि वहां अभी भी परम्परागत पद्धति से गुड़ का उत्पादन होता है, जिसके परिणामस्वरूप किसान न तो गन्ने का पूर्ण उपयोग कर रहा है और न ही गुड़ की गुणवत्ता में कोई सुधार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने गुड़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भंडारण सुविधा स्थापित करने और उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या नई व्यवस्था की है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): उत्तर प्रदेश राज्य के साथ-साथ देश भर में गुड़ प्रसंस्करण उद्योग सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामत: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्रीय प्रायोजित-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने, कृषि उपज के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, गुड़ प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

*****